

शपथ पत्र

[(देखें नियम 10(3) एवं नियम 13(3)]

मैं (आवेदक का नाम), पिता का नाम -.....

पता-.....शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

1. मैं भारत का नागरिक हूँ। उक्त संदर्भ में मेरे द्वारा मतदाता पहचान पत्र सं०-...../पासपोर्ट सं०-.....की छायाप्रति संलग्न की गयी है। (जो लागू न हो, कृपया काट दें।)
2.(अभिकरण का नाम) निजी सुरक्षा अभिकरण भारत में रजिस्ट्रीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/फर्म/सोसाइटी/सहकारी सोसाइटी/ट्रस्ट/भागीदारी फर्म/व्यक्तियों का समूह है तथा मैं उक्त निजी सुरक्षा अभिकरण का/ में स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक/ट्रस्टी/सदस्य/प्रमोटर/शेयरधारक हूँ। (जो लागू न हो, कृपया काट दें।)
3. मुझे किसी कंपनी के सम्प्रवर्तन, उसके बनाने या प्रबन्ध के संबंध में किसी अपराध के लिए (मेरे द्वारा कंपनी के संबंध में किए किसी कपट या अपकरण सहित) जिसमें अनुमोचित दिवालियापन भी शामिल है, सिद्धदोष नहीं किया गया है।
4. मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए विहित दण्ड दो वर्ष से अन्यून कारावास है, सिद्धदोष नहीं किया गया है।
5. मेरा किसी ऐसे संगठन या संगम से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, जिसे उसके ऐसे क्रियाकलापों, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए खतरे की आशंका उत्पन्न होती हो, के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित कर दिया गया है। मेरा किसी ऐसे व्यक्ति, संगठन या संगम से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, जिसके बारे में यह सूचना है कि वे किसी ऐसे क्रियाकलाप में संलिप्त हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
6. मुझे अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत अथवा हटाया नहीं गया है।
7. मेरे विरुद्ध किसी पुलिस थाना में कोई मामला दर्ज नहीं है/मेरे विरुद्ध पुलिस थाने में निम्न मामले दर्ज हैं :- (कृपया थाना का नाम, कांड संख्या एवं अपराध की प्रकृति/धारा अंकित करें)
8. मेरे विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई जाँच/विचारण लम्बित नहीं है/मेरे विरुद्ध न्यायालय में निम्न आपराधिक मामलों की जाँच/विचारण लम्बित है:- (कृपया न्यायालय का नाम, वाद संख्या एवं आरोप की प्रकृति, धारा सहित अंकित करें)

9. मेरा अभिकरण भारत में रजिस्ट्रीकृत है तथा इसके स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक/बहुसंख्य शेयरधारक भारत के नागरिक हैं। मेरे अभिकरण में किसी प्रकार का विदेशी निवेश प्राप्त नहीं किया गया है/ मेरे अभिकरण में कुल विदेशी निवेश % है, तथा इसके लिए सक्षम प्राधिकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गयी है। (जो लागू न हो, कृपया काट दें।)
10. मेरे अभिकरण द्वारा सभी नियोजित निजी सुरक्षा कर्मियों एवं पर्यवेक्षकों को नियमानुसार विहित आवश्यक प्रशिक्षण एवं कौशल की उपलब्धता निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित की जाएगी।
11. मेरे अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के अधिकतम छः माह के अन्दर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया जाएगा।
12. मेरे अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के 15 दिनों के अन्दर निजी अभिकरण बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, पत्राचार का पता तथा मुख्य पेशा नियंत्री प्राधिकारी को विधिवत सूचित किया जाएगा।
13. मेरे अभिकरण द्वारा निजी अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों के पता में किसी परिवर्तन, प्रबंधन में परिवर्तन की विधिवत सूचना ऐसे परिवर्तन के 07 दिनों के अन्दर नियंत्री प्राधिकारी को दिया जाएगा।
14. मेरे अभिकरण द्वारा निजी सुरक्षा का कारोबार करने के क्रम में कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि, आयकर, वस्तु एवं सेवाकर आदि सभी प्रकार के विधिसम्मत निबंधन करा लिए गए हैं/समय कर लिए जाएंगे। (जो लागू न हो, कृपया काट दें।)
15. मेरे अभिकरण द्वारा निजी अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों अथवा निजी अभिकरण द्वारा रखे गये अथवा नियोजित निजी सुरक्षा गार्ड अथवा पर्यवेक्षक के विरुद्ध निजी सुरक्षा अभिकरण/गार्ड/पर्यवेक्षक के रूप में कर्तव्यों के संपादन के दौरान लगाये गये किसी आपराधिक आरोप की सूचना नियंत्री प्राधिकारी को तुरन्त दी जाएगी। ऐसी संसूचना की एक प्रति उस पुलिस थाने के प्रभारी पदाधिकारी को भी भेजी जाएगी, जहाँ आरोपित व्यक्ति सामान्यतः रहता हो।
16. मेरे अभिकरण द्वारा किसी सुरक्षा गार्ड अथवा पर्यवेक्षक को नियोजित अथवा नियुक्त करने के पूर्व उस व्यक्ति के चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जाँच करायी जाएगी।
17. मेरे अभिकरण द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों/पर्यवेक्षकों के चरित्र तथा पूर्व वृत्त के सत्यापन के संबंध में सत्यापन प्रमाण पत्र प्रपत्र-III में निर्गत की जाएगी एवं उसकी प्रति नियंत्री प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
18. मेरे अभिकरण द्वारा अपने निजी सुरक्षा गार्डों/पर्यवेक्षकों को विहित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिलाने के उपरान्त सफल प्रशिक्षणार्थियों की सूची तथा उन्हें प्रपत्र-IV में निर्गत प्रशिक्षण एवं निपुणता प्रमाण पत्र की प्रति छः माह के अन्दर नियंत्री प्राधिकारी को समर्पित की जाएगी।
19. मेरे अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत होने के 60 दिनों के अन्दर विहित संख्या में पर्यवेक्षक एवं सुरक्षा गार्डों का नियोजन सुनिश्चित किया जाएगा।
20. मेरे अभिकरण द्वारा सुरक्षा गार्डों के लिए बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 में यथाविहित शारीरिक मानकों एवं उनके प्रशिक्षण की अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा।

21. मेरे अभिकरण द्वारा विहित फारम-VII के अनुसार अपेक्षित रजिस्ट्रों का संधारण सुनिश्चित किया जाएगा।
22. मेरे अभिकरण द्वारा विहित फारम-IX में सभी नियोजित सुरक्षा गार्डों को आवरणरोधी पहचानपत्र जारी किया जाएगा तथा इस संबंध में बिहार निजी सुरक्षा नियमावली, 2011 के नियम 17 में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।
23. मेरे अभिकरण द्वारा नियोजित सुरक्षा गार्डों को कर्तव्य के दौरान पहनने हेतु नियत वर्दी एवं अन्य वस्तुएँ प्रदान की जाएंगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त वर्दी का रंग और बैच ऐसा हो कि वह सशस्त्र बलों, केन्द्रीय पुलिस अथवा राज्य पुलिस द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी से मेल न खाए।
24. मेरे अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अभिकरण द्वारा नियोजित प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड की हर बारह महीने पर शारीरिक जाँच की जाए।
25. मेरे अभिकरण तथा उसके किसी निदेशक/भागीदार/सदस्य/कर्मचारी द्वारा कोई शस्त्र अनुज्ञप्ति धारित नहीं है, अथवा;
मेरे अभिकरण के निदेशक/भागीदार/सदस्य/कर्मचारी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र का सम्पूर्ण विवरण विहित आवेदन फारम-V के साथ संलग्न किया गया है।
26. मेरे अभिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को गार्ड/पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित करने के पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा कि वह भारत का वयस्क नागरिक है।
27. मैंने निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 तथा बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों का भलीभाँति अध्ययन कर लिया है। मैं अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों तथा नियंत्री प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्गत किए जाने वाले दिशा निर्देशों का तत्परता से पालन करूँगा।
28. *अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि के दौरान अभिकरण के स्वामित्व प्रतिरूप अथवा प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।/अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि के दौरान अभिकरण के स्वामित्व प्रतिरूप अथवा प्रबंधन में निम्न परिवर्तन किया गया है :- (कृपया ब्यौरा संलग्न करें) (जो लागू न हो, कृपया काट दें।)
29. *अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि के दौरान अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों या अभिकरण के कार्यालय के पते में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।/अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि के दौरान अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों या अभिकरण के कार्यालय के पते में निम्न परिवर्तन किया गया है :- (कृपया ब्यौरा संलग्न करें) (जो लागू न हो, कृपया काट दें।)
30. *मेरे अभिकरण द्वारा नियोजित निजी सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण हेतु पूर्व से चली आ रही व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।/निम्न परिवर्तन किया गया है (कृपया ब्यौरा संलग्न करें)

*केवल नवीकरण के संदर्भ में लागू।

स्थान:-

तिथि:-

शपथकर्ता का नाम

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....(शपथकर्ता का नाम), पिता-....., पता-.....
सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि मैं इस शपथपत्र के माध्यम से की गयी घोषणाओं के लिए
सक्षम हूँ/ अभिकरण द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हूँ। इस शपथ पत्र में उल्लिखित सभी
तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मेरे द्वारा न तो किसी तथ्य को छिपाया
गया है और न ही मिथ्या कथन किया गया है।

स्थान:--

शपथकर्ता का नाम

तिथि:--

हस्ताक्षर